न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः सुश्री अंजु शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 194/2021

उनवान

(1) रामचन्द्र पिता श्री शंकर जाति निनामा भील निवासी वाकाव़ाडातहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) रामा पिता शंकर जाति निनामा भील निवासी वाकावाड़ा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू–राजस्व अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 18.7.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के कब्जे की संयुक्त खातेबन्दी कृषि भूमि खाता संख्या 215 (नया) 204 (पुराना) का आराज़ी सर्वे नम्बर 4264/4774 रकबा 0.24 हे0 भूमि वाके गांव खटवाडा पटवार हल्का चौपासाग तहसील गढी जिला बांसवाडा मे स्थित होकर प्रार्थीगण संयुक्त रूप से खातेदार कृषक होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खाते की भूमि में प्रार्थीगण एक समान हिस्सेदार है। प्रार्थीगण ने अपने उक्त आराजी सर्वे नम्बर की भूमि सुधार कार्य हेतु एवं ऋण लेने हेतु राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी एवं नक्षा ट्रेस की नकल प्राप्त करने पर प्रार्थीगण को यह मालुम हुआ की उनका उक्त आराज़ी सर्वे नम्बर 4264/4774 रकबा 0.24 हे0 भूमि के नक्षा ट्रेस मे गलत तरमीम (इन्द्राज) हो गया है। प्रार्थीगण के उक्त सर्वे नम्बर 4264/4774 रकबा 0.24 हे0 की भूमि का वृहत आराजी सर्वे नम्बर 4264 वाके ग्राम खटवाडा पटवार हल्का चौपासाग तहसील गढी की भूमि है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी सर्वे नम्बर 4264/4774 रकबा 0.24 हे0 की भुमि 4264 का एक भाग है होकर उक्त 4264 सर्वे नम्बर के उत्तर–पूर्व तरफ सडक किनारे सर्वे नम्बर 4184 के ठिक पश्चिम दिशा की तरफ स्थित है । सर्वे नम्बर 4184 एवं प्रार्थी की भूमि के मध्य मात्र वाईया से वाकावाडा सडक स्थित है। प्रार्थीगण अपने उक्त सर्वे नम्बर की भूमि पर वर्तमान मे काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जबकि प्रार्थीगण का उक्त नम्बर नक्षा ट्रेस में 4264 वृहद नम्बर के पश्चिम–दक्षिण मे तरमिम कर दिया गया है। जो त्रुटीपूर्ण तरमीम है। यह कि प्रार्थीगण के उक्त सर्वे नम्बर 4264/4774 रकबा 0.24 हेक्टर भूमि को उत्तर–पूर्व दिशा के स्थान पर लिपिकिय त्रुटी से वृहद सर्वे नम्बर 4264 के पश्चिम–दक्षिण मे तरमीम कर देने से प्रार्थीगण को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है। उक्त लिपिकिय त्रुटी के कारण प्रार्थीगण को हर जगह पर हैरान एवं परेशान होना पड रहा है। उक्त त्रुटी राजस्व कर्मचारीयो एवं अधिकारीयो द्वारा लिपिकिय त्रुटी से तरमीम हो गया है। इसे दुरूस्त करते हेतु इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश हुआ।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] किया जाकर अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार के नाम सम्मन जारी किये जाने पर [illegible]ारा [illegible]सीलदार, गढ़ी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि ''ग्राम खटवाड़ा मे खाता संख्या 215 [illegible] नम्बर 4264/4774 रकबा 0.24 हे0 किस्म–मगरी रामचन्द्र, रामा पिता शंकर भील के नाम [illegible] दर्ज रेकार्ड है। खसरा [illegible] 4264 में से रकबा 0.24 हे0 भूमि रामचन्द्र, रामा पिता शंकर [illegible] के नाम दर्ज है जि[illegible]टा नम्बर 4264/4774 बना जिसमें लिपिकिय भूल से नक्षा लठ्ठा मे गलत दर्शा दिया गया ळे जिस पर अन्य व्यक्ति का कब्जा है। खसरा नम्बर 4264 में खातेदारान् का कब्जा काश्त मौके पर चल रहा है जिसे नक्षा ट्रेस में डोटेड दर्शाया गया है जो सही है। कब्जा मुताबिक नक्षा लठ्ठा में तरमीम शुद्धि किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 12:06:15 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, संलग्न अभिलेख तथा अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस में डोटेड दर्शाये गये भाग का अवलोकन किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा नक्शा ट्रेस में डोटेड दर्शाये गये भाग अनुसार पटवार हल्का चौपासाग के मौजा खटवाड़ा के सर्वे नम्बर 4264/4774 रकबा 0.24 हे0 भूमि की तरमीम करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.7.2024 को जारी किया गया।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 12:06:15 IST
Reason: SelfAttested

18.7.24 पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक
उपस्थित। वादी अभिभाषक की बहस सुनी
गई। बहस पर मनन, हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र,
अभिलेख तथा अप्रार्थी के जवाब का
अवलोकन किया गया। प्रकरण में पृथक से
निर्णय जारी कर शामिल पत्रावली किया
गया। पत्रावली फैसल शुमार बाद बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 12:06:15 IST
Reason: SelfAttested